रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या- 978/2026/728/22-02-2026-17(307)/2026

लखनऊ: दिनांक: 17 जुलाई, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार अलीगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हाजी मुन्ना (बन्दी सं0-664/2016) पुत्र श्री हाजी रशीद, छंगा वाली मस्जिद के पास सराय मियां, थाना-देहलीगेट, जनपद-अलीगढ का निवासी है, जिसे एस0टी0नं0-395/2009 में धारा-302/34 आई०पी०सी० के अन्तर्गत मा० न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, अलीगढ़ के दण्डादेश दिनांक 14.12.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 26.08.2016 द्वारा बन्दी की अपील निर्णित करते हुये मा० सत्र न्यायालय द्वारा दिये गये आजीवन कारावास को यथावत रखा गया। बन्दी के ऊपर अन्य वाद (1)-अ0सं0-206/2014 धारा-323, 324, 504, 506 आई०पी०सी० थाना-कोतवाली नगर जिला-अलीगढ़ (2)-अ०सं०-144/2009 जी०एस०टी०सं०-179/2010 धारा-2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली नगर जिला-अलीगढ़ लम्बित है। बन्दी द्वारा दिनांक 15.01.2026 तक अपरिहार 10 वर्ष, 03 माह, 04 दिन तथा सपरिहार 12 वर्ष, 11 माह, 03 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है, संतोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट अलीगढ के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार

उप सचिव।

संख्या-978/2026/728(1)/22-2-2026 एवं तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।

2- जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ

3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अलीगढ

4- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार अलीगढ।

5- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

6- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभय कुमार त्रिपाठी

अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।